



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018/ फाल्गुन 8, 1939

No. 101]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/ PHALGUNA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

**सा.का.नि.186(अ).**—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के आदेश सा. का. नि. 191 (अ), दिनांक 26 मार्च 2013, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 कहा जाएगा।  
(2) ये सरकारी राज-पत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2013 की अनुसूची में,-  
(क) अनुसूची ख में, क्रम संख्या 17 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-  
“18. 4-एनिलिनो -N-फेनएथाइलपिपरेडाइन (ANPP)  
19. N-फेनेथाइल-4-पिपरिडाइन (NPP)”;

(ख) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 17 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः -

- “18. 4-एनिलिनो -N-फेनएथाइलपिपरेडाइन (ANPP)
- 19. N-फेनेथाइल-4-पिपरिडाइन (NPP)”;

[फा.सं. एन-12019/3/2016-एनसी-II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

**नोट :**प्रधान आदेश को सा.का.नि. 191 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

**G.S.R. 186(E).** – In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number G.S.R 191 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2013, namely: -

- 1. (1) This order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2018.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, in the Schedule, -
- (a) in Schedule B, after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

  - “18. 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
  - 19. N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)”;

- (b) in Schedule C, after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

  - “18. 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
  - 19. N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)”.

[F. No. N 12019/3/2016-NC-II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India *vide* number GSR 191 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2013.